[श्री स० मो० बनर्जी]

पर मान लिया । अगर वहीं मान लेते तो रिश्ते खराब न होते ।

श्री दिनेश सिंह : ऐसी बात नहीं है ।

श्री बेणी शंकर शर्मा (बांका) : अभी हमारे मित्रों ने जो प्रश्न किये और मंत्री महोदय ने जो जवाब दिये उनसे मुझे एक शायर का वह शेर याद आ जाता है जिसमें उसने गत महायुद्ध के दौरान कहा था :

"कदम जर्मन के बढ़ते हैं, फतह इंग्लिश की होती है ।"

आज हमारे यहां नेपाल के साथ ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों के सुधार की चर्चायें तो बहुत की जा रही हैं । किन्तु आज हम देख रहे हैं कि हर एक वी० आई० पी० के नेपाल जाने के बाद भारत और नेपाल के सम्बन्ध बदतर ही होते जा रहे हैं । मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने द्वारा 11 दिसम्बर, 1968 को दिये हुए एक काल अटेंशन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । उसके पहले नवम्बर मास में हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति, डा० जाकिर हुसैन साहब वहां गये थे और उसके बाद श्री बली राम भगत भी गये थे । ठीक उसके बाद ही सुस्ता काण्ड हुआ था जिस ने यहां के लोगों को हिला दिया था । उस वक्त भी मेरे प्रश्न के जवाब में यही कहा गया था कि हमारे सम्बन्ध हैं और अच्छे होते जा रहे हैं । अभी श्री दिनेश सिंह जी वहां हो आये हैं । उनके बयान से तो ऐसा मालूम हुआ था कि वे एक बहुत बड़ा काम करके आये हैं, बड़ा भारी शिकार करके आये हैं, किन्तु जब वहां के पत्रों को देखते हैं तो मालूम पड़ता है.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I may point out that the question must relate to the subject-matter of the main notice which relates only to military mission.

श्री बेणी शंकर शर्मा : मैं मंत्री महोदय से केवल यही पूछना चाहता हूं कि नेपाल में उन्होंने जो चर्चा की उसके दौरान 1950 की नेपाल मैत्री संधि के सम्बन्ध में तथा 1965 में भारत और नेपाल के बीच में नेपाल में शस्त्रास्त्रों के आयात के सम्बन्ध में जो ऐग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में भी कुछ बातें हुई या नहीं ?

दूसरी बात यह कि नेपाल के वर्तमान प्रधान मंत्री की शिकायत यह है कि जहां उन्होंने कोसी और गंडक योजनायें बनाने में भारत सरकार को हर तरह से सहायता दी वहां करनाली हाइडेल प्रोजेक्ट में भारत ने नेपाल का कोई हाथ नहीं बटाया । मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में उनके बीच कोई चर्चा हुई थी या नहीं, और हुई थी तो क्या परिणाम निकला ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक करनाली का सम्बन्ध है, करनाली आयोजन में मदद करने में हम को कोई कठिनाई नहीं है । हम अभी उस स्कीम की जांच करना चाहते हैं कि क्या वह बन सकेगी, क्या वह उनके लिये फायदेमन्द होगी, क्या वह बिजली ऐसे दामों पर बना सकेगी जिसको हम ले सकेंगे या नहीं । यह जांच हो जाने के बाद तय होगा कि उस में हम क्या मदद कर सकते हैं ।

12.29 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report of Industrial Licensing Policy Inquiry Committee

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee. [*Placed in Library. See* No LT—1232/69.]

Proclamation in Relation to the State of Bihar

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): I beg to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Proclamation dated the 4th July, 1969 issued by the Vice-President acting as President

under article 356 of the Constitution in relation to the state of Bihar published in Notification No. G.S. R. 1600 in Gazette of India dated the 4th July, 1969, under article 356 (3) of the Constitution.

(ii) A copy of the Order dated the 4th July, 1969, made by the Vice-President acting as President in pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the above Proclamation, published in Notification No. G.S.R. 1601 in Gazette of India dated the 4th July, 1969.

(2) A copy of the Report of the Governor of Bihar dated the 4th July, 1969 to the President. [*Placed in Library. See* No. LT—1233/69.]

Resolution Re. Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K.K. SHAH) : I beg to lay on the Table a copy of Government Resolution No. F. 1-3/68-AE dated the 22nd May, 1969 (Hindi and English versions) constituting in autonomous Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy. [*Placed in Library. See* No. LT-1234/69.]

Ordinances under Provisions of Articles 123(2) (a) of the Constitution

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING & TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions), under provisions, of article 123 (2) (a) of the Constitution :—

(1) The Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1969 (No. 3 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 4th June, 1969.

(2) The Central Sales Tax (Amendment Ordinance, 1969 (No. 4 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 9th June, 1969.

(3) The Press Council (Amendment) Ordinance, 1969 (No. 5 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 30th June, 1969.

(4) The Gold (Control) Amendment Ordinance, 1969 (No. 6 of 1969) Promulgated by the Vice-President acting as President on the 3rd July, 1969.

(5) The Banaras Hindu University (Amendment) Ordinance 1969 (No. 7 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 17th July, 1969.

[*Placed in Library. See* No, LT—1235/69.]

BANKING COMPANIES (ACQUISITION & TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE, 1969

SHRI RAGHU RAMAIAH : I beg to lay on the Table, under provisions of article 123 (2) (a) of the Constitution, a copy of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance 1969 (No. 8 of 1969) promulgated on the 19th July, 1969 by the Vice-President acting as President. [*Placed in Library. See* No. LT—1236/69.]

Statement Re. Indian Railways (Amendment) Ordinance, and Government's revised comments on Report of Railways accidents Committee, 1962

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAMSUBHAG SINGH): I beg to lay on the Table:—

(1) Explanatory statement giving reasons for immediate legislation by the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1969, as required under rule 71(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT—1237/69.]

(a) A copy of the revised comments of the Government on Item No. 20 (ii) of the recommendation made in part